मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,, खण्डपीठ इन्दौर
Form – "D"
Rejection Order
(See Rule 4(2) of the high Court of Madhya Pradesh (Right to Information)Rules,2006

क्रमांक : QPIO/IND/714 इन्दौर, दिनॉक 27–04–2016

प्रति,

डा0मो0मुमताज कुरैशी,
155–सुमती नगर,
मथुरा वाला मैदान, आजाद नगर,
इन्दौर (म0प्र0)

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत जानकारी बाबत् ।

सन्दर्भः– आपका आवेदन पत्र Form –A दिनॉक 26–03–2016 मय संशोधन प्राप्ति दिनॉक 29–03–2016 & marked ID.No. 37/2015-16.

आपके व्दारा संदर्भित आवेदनर पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी हैं :–

"मेरे व्दारा दिनॉक 16.11.2015 को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्रीमान पुष्पक पाठक एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती इंदिरा सिंह की शिकायत आवेदन के संबंध में जो कार्यवाही की गई हैं उसकी प्रमाणित प्रति हेतु ।"

1. उपरोक्त चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदाय नहीं की जा सकती हैं :–

चाही गयी जानकारी के विषय में संबंधित से प्राप्त जानकारी एवं निर्देशानुसार सूचित किया जाता हैं कि, आपके व्दारा प्रेषित शिकायत पर माननीय मुख्यपीठ जलबपुर में कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं । उक्त शिकायत पर जॉच कार्यवाही वर्तमान में जारी होने एवं कोई अंतिम निर्णय नहीं होने से चाहे गये अभिलेखों की छायाप्रति वर्तमान समय में प्रदाय की जाना संभव नहीं हैं । इसके अतिरिक्त चाहे गये अभिलेखों की छायाप्रति के वर्तमान में प्रकटन से शिकायत की जॉच प्रकिया में अड़चन पड़ सकती हैं, अतः उक्त शिकायत से संबंधित चाहे गये अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(h) के प्रावधान के तहत प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । उपरोक्त संबंध में आपको रजिस्ट्रार (J-I) एवं लोक सूचना अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर व्दारा पूर्व में ही Form-"D" Rejection Order क्रमांक 437 दिनॉक 30–03–2016 प्रेषित कर सूचित कर दिया गया हैं ।

2- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 के अनुसार अपीलीय अधिकारी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार – म0प्र0उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष इस आदेश के जारी होने की दिनॉक से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ।

O/C.

(राजेश कुमार शर्मा) 27.04.16
डिप्टी रजिस्ट्रार एवं
लोक सूचना अधिकारी